न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज उम्मेद बनाम राज्य मु.नं.– 76/24 किस्म – T.D.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित। बहस आपत्ति दस्तावेज पर उभय पक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया आपत्ति खारिज की जाती है। दस्तावेज यथा खसरा परिवर्तनशील संवत 2022 व अन्य नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा, नकल मिलान क्षेत्रफल व-दोहे, नामान्तरण सं. 679, 680, खसरा परिवर्तनशील संवत 2025 लगा 35, खसरा परिवर्तनशील संवत 2036 लगा 2055 को शामिल पत्रावली हो। पत्रावली में प्रा.पत्र T.I. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 17.7.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
17.7.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली यथानुसार दिनांक 01.8.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01.8.25	पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली यथानुसार दिनांक 12.8.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज उम्मेद बनाम बाबू मु.नं.– 76/24 किस्म – R.Q.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2024	20.11.2024	12.08.2025

बउनवान

1. उम्मेद पुत्र घम्मन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. कमलेश पुत्र हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. भम्बल पुत्र हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. भोली पुत्री घम्मन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. मुकेश पुत्री हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. रमेश पुत्र घम्मन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. रामखिलाडी पुत्र हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. रामसिंह पुत्र हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. विमलेश पुत्री हजारी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. विमला पत्नी घम्मन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबू पुत्र किशोरिया, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. रामरतन पुत्र किशोरिया, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. घमण्डी पुत्र किशनलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. मोहनलाल पुत्र धमण्डी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. राजेन्द्र पुत्र धमण्डी, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. छोटेलाल पुत्र किशनलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटेलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. सुबद्धीराम पुत्र छोटेलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. हरकेश पुत्र छोटेलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. राजेश पुत्र छोटेलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. हरिकिशन पुत्र कन्हैया, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. रामखिलाडी पुत्र कन्हैया, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
13. हरिओम पुत्र रामेश्वर, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
14. सीताराम पुत्र रामेश्वर, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री राजूलाल मुराडिया।
2. अभिभाषक अप्रार्थी 1 लगायत 12 – श्री हरीसिंह मीना।
3. अभिभाषक अप्रार्थी 13 लगायत 14 – श्री धर्मसिंह राजपूत।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 364 का खसरा सं. 1839 रकबा 0.05 हैक्टे., 1840 रकबा 0.16 हैक्टे., 1841 रकबा 0.11 हैक्टे., 1842 रकबा 0.08 हैक्टे., 1843 रकबा 0.23 हैक्टे., 1844 रकबा 0.07 हैक्टे., 1845 रकबा 0.13 हैक्टे., 1846 रकबा 0.07 हैक्टे., 1847 रकबा 0.14 हैक्टे., 1852 रकबा 0.96 हैक्टे., 1853 रकबा 0.06 हैक्टे., 2001 रकबा 0.21 हैक्टे., 2002 रकबा 0.52 हैक्टे., कुल किता 13, कुल रकबा 2.79 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से कब्जे कर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का या अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही किसी प्रकार का लेना देना है। प्रार्थीगण शांतिपूर्वक बेरोकटोक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ताकत व पैसे के बल पर आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के फिराक में रहते है। दिनांक 02.10.2024 को प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की देखभाल करने के लिये गये तो वहॉ पर देखा कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में होकर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की आराजी में जोत निकालने के लिये ट्रैक्टर को चलाने की तैयारी कर रहे थे। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि उक्त आराजीयात हमारी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जिससे आपका कोई लेना देना व संबंध सरोकार नहीं है। आप इसमें होकर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास क्यों कर रहे हो। इतने में सभी अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थीगण से कहने लगे कि हमारे लट्ठ में ताकत है, हम पैसे वाले व राजनैतिक पहुँच वाले है, हम तुम्हारी खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल करेगे तथा पक्का निर्माण करेगे व कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर नाकाबिल काश्त बनायेगे लेकिन अप्रार्थीगण मानने को तैयार नहीं है और प्रार्थीगण की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को हमेशा हमेशा के लिये अपने हक हकूको से महरूम हो जायेगे। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगे। बिनाय दावा दिनांक 02.10.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा वादीगण की विवादित आराजीयात में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी में कब्जा करने एवं पक्का निर्माण करने व कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने की ऐलानिया धमकी दी व मुकाम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में ही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वो अपनी धमकी में कामयाब हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही अवरोध उत्पन्न करे, प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करे और ना ही कृषि भूमि को अकृषि में ही परिवर्तित करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही नौकरों व एजेण्टों से करावें।

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1839 लगायत 1847, 1852, 1853, 2001, 2002 के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा। शुरू से ही विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के बुजुर्गान व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा सम्वत् 2022 से 2043 तक लगातार 21 वर्षो तक राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी अनुसार निर्विवाद रहा है तथा लगभग 58 वर्षो से उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अपने कब्जे को साबित करने में नाकाम है। गलत एवं मनगढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ना तो कोई निर्माण कर रहे हैं, ना ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कोई धमकी दी है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है, ना ही प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का रहा है। उक्त भूमि चारागाह भूमि रही है जिसका अवैध व गैरकानूनी रूप से हजारी के नाम आवंटन कर दिया था जबकि हजारी के नाम कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा, ना ही प्रार्थीगण के वारिसान का कब्जा रहा है। यादि कब्जा रहता तो राजस्व रिकॉर्ड की गिरदावरी में कब्जा अंकित होता। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पूर्वज किशन एवं कन्हैया का उक्त भूमि पर कब्जा सम्वत् 2022 से 2043 तक गिरदावरी में वर्णित है लगभग 58 वर्षो से कब्जा लगातार चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

4. अप्रार्थी सं. 13 लगायत 14 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते कथन किया कि विवादित आराजीयात में खसरा सं. 2002 रकबा 0.52 हैक्टे. वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा से प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजों का कोई संबंध व वास्ता कभी नहीं रहा। उक्त आराजी के साबिक खसरा सं. 296, 324, 370 थे जिस पर हम उत्तरदाता के बाबा लटूरया पुत्र हरसहाय की कब्जे काश्त शुरू से ही रही है तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर हम उत्तरदातागण के पिता रामेश्वर पुत्र लटूरया की कब्जे काश्त रही है तथा वर्तमान में हम उत्तरदाता का कब्जा काश्त है। उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कब्जे का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड गिरदावरी सम्वत् 2022 से 2054 तक लगातार बदस्तूर चला आ रहा है। उसके बाद उक्त आराजी की गिरदावरी बन्द हो गयी जबकि उक्त आराजी पर कब्जा हम उत्तरदातागण का तीन पीढियों से लगातार चला आ रहा है। वर्तमान में भी हम उत्तरदाता का खसरा नम्बर 2002 पर कब्जा है जिसमें हम उत्तरदाता ने मौके पर फार्म पौण्ड, एक बोरवैल करवा रखा है जिससे सिंचाई वगै. करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजीयात के अन्य नम्बरों पर अन्य अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर तथा कब्जे के अभाव में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद पत्र पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अथवा किसी भी खसरा नम्बर पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी पर हमेशा से ही ख. स. 2002 पर अब हम उत्तरदाता का तथा हमसे पहले हमारे पिता रामेश्वर का तथा पिता से पहले बाबा लटूरया पुत्र हरसहाय का कब्जा काश्त रहा है जिस कब्जे को 100 वर्ष के आस–पास हो गया है तथा तीन पीढियों से लगातार बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है तो फिर प्रार्थीगण को बिनाय दावा कैसे उत्पन्न हुआ, उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं है तथा कब्जा नहीं होते हुये भी प्रार्थीगण द्वारा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का ही दावा हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। उससे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। सायलान के हक में यदि किसी भी प्रकार का आदेश न्यायालय पारित करती है तो हम अप्रार्थीगण उत्तरदाता को भारी क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण जमाबन्दी में खातेदारी के नुमाईशी इन्द्राज होने के कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त आराजी पर शुरू से ही हम उत्तरदाता के बाबा लटूरया पुत्र हरसहाय का कब्जा काश्त था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में अंकित है तथा उसकी मृत्यु के बाद रामेश्वर का तथा अब हमारा कब्जा काश्त लगातार बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है। प्रार्थीगण का अथवा उनके पूर्वजों का कोई लेना–देना नहीं रहा है। उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर मनगढन्त बिनाय दावा बनाया है जो खारिजयोग्य है। हम उत्तरदाताओं द्वारा ख.नं. 2002 जो कि काश्त की भूमि है, उसमें फार्म पौण्ड एवं बोरवैल करवा रखा है जिसकी जानकारी बखूबी रूप से प्रार्थीगण को रही है। उसके बावजूद भी उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि कब्जा के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के खातेदार होना सही है लेकिन शेष तथ्य गलत है। उक्त आराजी की खातेदारी सायलान के नाम मात्र नुमायशी रूप से है, उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कब्जा नहीं होने के कारण उनका ना तो प्रथम दृष्टया मामला ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उनके पक्ष में है बल्कि ये दोनों ही बिन्दु हम उत्तरदाता के पक्ष में है। प्रार्थीगण का जब उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने के कारण कोई वास्ता नहीं है, फिर उन्हें अपूरणीय क्षति होने का तो सवाल ही नहीं है बल्कि अप्रार्थी उत्तरदातागण का आराजी खसरा सं. 2002 पर लगातार तीन पीढियों से कब्जा बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है जिसमें वो बिना किसी कारण के अवरोध पैदा करना चाहते हैं। इस कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के हक में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उससे हमें अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी उत्तरदातागण के पक्ष में बखूबी साबित है। खसरा सं. 2002 के साबिक नम्बर 296, 324, 370 पर शुरू से ही लटुरया पुत्र हरसहाय की कब्जा काश्त रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में अंकित है जो संवत् 2022 से 2054 तक में अंकित है तथा हम उत्तरदातागण के बाबा लटुरया के बाद हमारे पिता रामेश्वर का तथा अब हमारा कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। सायलान ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसका उक्त भूमि पर कब्जा कैसे रहा है। इस कारण कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर अपनी कब्जा काश्त नहीं होते हुये भी उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का ही दावा पेश किया है जो दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। उपरोक्त भूमि पर हम उत्तरदातागण का लगातार तीन पीढियों से कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र सायलान खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 13 व 14 की ओर से प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध *– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात पर सम्वत् 2022 से 2043 तक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 के पूर्वजों के कब्ज़ा होने का कथन किया है। अप्रार्थी सं. 13 तथा 14 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात पर संवत् 2022 से 2054 तक अप्रार्थी सं. 13 तथा 14 के पूर्वज रामेश्वर के कब्ज़ा होने का कथन किया है। प्रार्थीगण के द्वारा खुद को वर्तमान में विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होने का कथन किया है जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण का कब्ज़ा नहीं होने का कथन किया है। विवादित आराजीयात पर वर्तमान में कब्जे के बाबत कोई दस्तावेज किसी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए वर्तमान में वादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज हैं अथवा नहीं, इसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में आराजी का खातेदार वादीगण के होने के कारण सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 364 के खसरा सं. 1839 लगायत 1847, 1852, 1853, 2001, 2002 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)